कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना, म.प्र.

//कैंटीन संचालन हेतु चतुर्थ निविदा आमंत्रण सूचना//

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि जिला न्यायालय सतना तथा व्यवहार न्यायालय, मैहर में स्थित कैंटीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कम्पनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। कैंटीन संचालन के इच्छुक प्रतिभागी इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से **13.09.2024** तक जिला न्यायालय, सतना के नजारत अनुभाग से अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क 1000/– रू. (रूपए एक हजार मात्र) का डी.डी./नगद जमा कर अनुबंध की शर्तों एवं आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म आवेदन पत्र दिनांक **13.09.2024** तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के कार्यालय में कार्यालयीन समय के अन्दर स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। निविदा **दिनांक 14.09.2024 को दोपहर 02:00 बजे** निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

7/8/24

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला सतना, म.प्र.

जिला न्यायालय सतना एवं व्यवहार न्यायालय मैहर के परिसर में स्थित कैंटीन संचालन हेतु दिनांक 05.07.24 तक आमंत्रित निविदा में किसी आवेदक से कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप पूर्व निविदा–शर्तों के तहत चतुर्थ निविदा आमंत्रित किया जाना तथा साथ ही स्थानीय समाचार–पत्र में प्रकाशन बावत् संचालनालय, जन सम्पर्क विभाग, म.प्र., भोपाल को सतना के कम से कम 2 स्थानीय समाचार–पत्र में प्रकाशन हेतु उक्त निविदा आमंत्रण की सूचना प्रेषित किया जाना तथा मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के वेबसाइट पर अपलोड हेतु जे.एस.ए. को निर्देशित किया जाना प्रस्तावित हैः–

//कैंटीन संचालन हेतु चतुर्थ निविदा आमंत्रण सूचना//

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि जिला न्यायालय सतना तथा व्यवहार न्यायालय, मैहर में स्थित कैंटीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कम्पनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। कैंटीन संचालन के इच्छुक प्रतिभागी इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से **13.09.2024** तक जिला न्यायालय, सतना के नजारत अनुभाग से अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क 1000/– रू. (रूपए एक हजार मात्र) का डी.डी. /नगद जमा कर अनुबंध की शर्तों एवं आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म आवेदन पत्र दिनांक **13.09.2024** तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के कार्यालय में कार्यालयीन समय के अन्दर स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। निविदा **दिनांक 14.09.2024 को दोपहर 02:00 बजे** निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

कैंटीन संचालन का स्थान– जिला न्यायालय सतना परिसर

<u>निविदा फार्म</u>

प्रथम पक्ष	:–	निविदाकर्ता का नाम	:–	....
		पता	:–	....
		मोबाइल नम्बर	:–	....
		आधार कार्ड नम्बर	:–	....
		पैन कार्ड नम्बर	:–	....
		उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तो	:–	....
		संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र यदि हो तो	:–	....

		जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र .यदि हो तो	:–	....
		प्रस्तावित प्रमाण–पत्र .यदि हो तो	:–	....
द्वितीय पक्ष	:–	जिला रजिस्ट्रार, कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना, म.प्र.		

कैंटीन का क्षेत्रफल

लम्बाई	चौड़ाई	कुल क्षेत्रफल
25.5 feet	16 feet	360 sq. feet

कैंटीन से लगी किचन, वाशरूम, स्टोर, सर्विसिंग एरिया

लम्बाई	चौड़ाई	कुल क्षेत्रफल
35.5 feet	30 feet	1065 sq. feet

<u>जिला न्यायालय सतना स्थित कैंटीन संचालन के सम्बन्ध में निविदा शर्तें</u>

1– कैंटीन संचालन हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 13.09.2024 तक कार्यालयीन समय पर स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2– निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन निविदा स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष के लिये अनुबंध संपादित किया जाएगा। अनुबंध अनुसार कैंटीन संचालन की 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि निर्धारित शर्तों के अधीन की जा सकती है।

3– कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटाई नहीं जावेगी।

4– निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ राशि 30000/– रू. (रूपए तीस हजार मात्र) की अमानत राशि प्रधान जिला न्यायाधीश, सतना को देय डिमांड/एफडीआर के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर निविदा अंतिम होने के एक सप्ताह के अंदर लौटा दी जावेगी।

5– प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन हेतु प्रथम 01 वर्ष के लिये राशि 1,61,000/–रू. (रूपए एक लाख इकसठ हजार मात्र) की न्यूनतम वार्षिक अनुज्ञा शुल्क निर्धारित

है। न्यूनतम अनुज्ञा शुल्क से अधिक राशि रूपये की सर्वाधिक अनुज्ञा शुल्क वाली निविदा को अन्य शर्तो की पूर्ति होने पर स्वीकार किया जायेगा, इस संबंध में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, सतना का निर्णय अंतिम होगा।

6— जिस निविदाकर्ता की अधिकतम अनुज्ञा शुल्क अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता के अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व अनुज्ञा शुल्क की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 6 माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।

7— अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

8— माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 के आदेशानुसार या अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश, सतना द्वारा अनुज्ञा शर्तो में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

9— कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश, सतना द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10— निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

11— निविदाकर्ता कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

12— प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

13— समय—समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान अनियमित गतिविधि पाये जाने पर निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

14– निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय–समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशानुसार किया जावेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

15– निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में ऐसा कोई अस्थाई निर्माण, जोकि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत ही किया जा सकेगा, जो शासकीय संपत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।

16– निविदाकर्ता कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अंदर विद्युत देयक का भुगतान करेगा।

17– निविदाकर्ता कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद/नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

18– निविदाकर्ता के पास यदि कैंटीन संचालन का अनुभव है तथा उसके द्वारा निविदा के साथ इससे संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किया गया है तो इसे अतिरिक्त योग्यता के रूप मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

19– निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी। न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु खाद्य सामग्री की किफायती दरों में रियायत कर सूची अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर कर्मचारीगण को प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित की जायेगी।

20– विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर में सहज दृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

21– निविदाकर्ता कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति दिवस पांच सौ रूपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

22– निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा 1000/– (एक हजार रूपये) प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

23– कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

24— अनुबंध अवधि में जल आपूर्ति हेतु अनुमति द्वितीय पक्ष द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी, जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।

25— सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर 500/— रूपये के स्टांप शुल्क पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

26— कैंटीन प्रधान जिला न्यायाधीश, सतना द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

27— समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों/पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकेगा अथवा उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा अथवा उनकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

28— कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को द्वितीय पक्ष का यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अंतर्गत की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

29— सफल निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर रंगरोगन, मरम्मत आदि का कार्य समय—समय पर किया जावेगा।

30— कैंटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

31— प्रथम पक्ष कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

32— कैंटीन के अंदर किसी भी प्रकार के मांसाहारी पदार्थ/मादक पदार्थ/द्रव्यों/धूम्रपान/पान/तम्बाकू/बीडी/सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

33— कैंटीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान—पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राईविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

34— निविदा फार्म अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन का प्रारूप कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना से कार्यालयीन समय पर दिनांक 13.09.2024 तक राशि 1000/— रू. (रूपए एक हजार मात्र) का डी.डी./नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2024 तक जिला न्यायालय

सतना के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 14.09.2024 को दोपहर 2:00 बजे निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

35— प्रथम पक्ष की अनुबंध समाप्त होने के तत्काल पश्चात कैंटीन रिक्त करना होगा तथा अमानत की राशि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को वापस की जावेगी। निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय सतना से उनके दूरभाष नं0 9165138468 पर संपर्क किया जा सकता है।

कैंटीन संचालन का स्थान— व्यवहार न्यायालय मैहर परिसर

निविदा फार्म

प्रथम पक्ष	:—	निविदाकर्ता का नाम	:—	....
		पता	:—	....
		मोबाइल नम्बर	:—	....
		आधार कार्ड नम्बर	:—	....
		पैन कार्ड नम्बर	:—	....
		उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तो	:—	....
		संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र यदि हो तो	:—	....
		जी.एस.टी. प्रमाण—पत्र .यदि हो तो	:—	....
		प्रस्तावित प्रमाण—पत्र .यदि हो तो	:—	....
द्वितीय पक्ष	:—	जिला रजिस्ट्रार, कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना, म.प्र.		

कैंटीन

लम्बाई	चौड़ाई	कुल क्षेत्रफल
62 feet	20 feet	1240 sq. feet

कैंटीन से लगी किचन, वाशरूम, स्टोर, सर्विसिंग एरिया

लम्बाई	चौड़ाई	कुल क्षेत्रफल
25.5 feet	19.5 feet	382 sq. feet

<u>व्यवहार न्यायालय मैहर स्थित कैंटीन संचालन के सम्बन्ध में निविदा शर्तें</u>

1— कैंटीन संचालन हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 13.09.2024 तक कार्यालयीन समय पर स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2— निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन निविदा स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष के लिये अनुबंध संपादित किया जाएगा। अनुबंध अनुसार कैंटीन संचालन की 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि निर्धारित शर्तों के अधीन की जा सकती है।

3— कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटाई नहीं जावेगी।

4— निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ राशि 30000/— रू. (रूपए तीस हजार मात्र) की अमानत राशि प्रधान जिला न्यायाधीश, सतना को देय डिमांड/एफडीआर के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर निविदा अंतिम होने के एक सप्ताह के अंदर लौटा दी जावेगी।

5— प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन हेतु प्रथम 01 वर्ष के लिये राशि 1,80,000/—रू. (रूपए एक लाख अस्सी हजार मात्र) की न्यूनतम वार्षिक अनुज्ञा शुल्क निर्धारित है। न्यूनतम अनुज्ञा शुल्क से अधिक राशि रूपये की सर्वाधिक अनुज्ञा शुल्क वाली निविदा को अन्य शर्तो की पूर्ति होने पर स्वीकार किया जायेगा, इस संबंध में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, सतना का निर्णय अंतिम होगा।

6— जिस निविदाकर्ता की अधिकतम अनुज्ञा शुल्क अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता के अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व अनुज्ञा शुल्क की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 6 माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।

7— अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध

तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

8— माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 के आदेशानुसार या अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश, सतना द्वारा अनुज्ञा शर्तो में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

9— कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश, सतना द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10— निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

11— निविदाकर्ता कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

12— प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

13— समय—समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान अनियमित गतिविधि पाये जाने पर निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

14— निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय—समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशानुसार किया जावेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

15— निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में ऐसा कोई अस्थाई निर्माण, जोकि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत ही किया जा सकेगा, जो शासकीय संपत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।

16— निविदाकर्ता कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अंदर विद्युत देयक का भुगतान करेगा।

17— निविदाकर्ता कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद/नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

18— निविदाकर्ता के पास यदि कैंटीन संचालन का अनुभव है तथा उसके द्वारा निविदा के साथ इससे संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किया गया है तो इसे अतिरिक्त योग्यता के रूप मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

19— निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी। न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु खाद्य सामग्री की किफायती दरों में रियायत कर सूची अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर कर्मचारीगण को प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित की जायेगी।

20— विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर में सहज दृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

21— निविदाकर्ता कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति दिवस पांच सौ रूपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

22— निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा 1000/— (एक हजार रूपये) प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

23— कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

24— अनुबंध अवधि में जल आपूर्ति हेतु अनुमति द्वितीय पक्ष द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी, जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।

25— सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर 500/— रूपये के स्टांप शुल्क पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

26— कैंटीन प्रधान जिला न्यायाधीश, सतना द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

27— समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों/पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकेगा अथवा उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा अथवा उनकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

28– कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को द्वितीय पक्ष का यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अंतर्गत की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

29– सफल निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर रंगरोगन, मरम्मत आदि का कार्य समय–समय पर किया जावेगा।

30– कैंटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

31– प्रथम पक्ष कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विकय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

32– कैंटीन के अंदर किसी भी प्रकार के मांसाहारी पदार्थ/मादक पदार्थ/द्रव्यों/धूम्रपान/पान/तम्बाकू/बीडी/सिगरेट आदि का विकय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

33– कैंटीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राईविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

34– निविदा फार्म अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन का प्रारूप कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना से कार्यालयीन समय पर दिनांक 13.09.2024 तक राशि 1000/–रू. (रूपए एक हजार मात्र) का डी.डी./नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2024 तक जिला न्यायालय सतना के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 14.09.2024 को दोपहर 2:00 बजे निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

35– प्रथम पक्ष की अनुबंध समाप्त होने के तत्काल पश्चात कैंटीन रिक्त करना होगा तथा अमानत की राशि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को वापस की जावेगी। निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय सतना से उनके दूरभाष नं0 9165138468 पर संपर्क किया जा सकता है।

उप प्रशा. अधिकारी

7/8/24

जिला नाजिर

07/8/024